न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—100/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00100)

1. गबरू पुत्र स्व0 श्री शंकर, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सोहनी देवी पत्नि स्व0 श्री बाबूलाल
2. पीर मोहम्मद पुत्र बाबूलाल
3. जमीला पुत्री बाबूलाल
4. शाहरूख पुत्र सलीम
5. बानो पुत्री सलीम
   समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।
7. इब्राहिम पुत्र स्व0 श्री शंकर, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील पीसागंन, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन, राजस्व वाद संख्या 42/2012

उपस्थितः—

1. श्री अभिषेक शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 व 07 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—04.12.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 42/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेसपोडेंट 1 लगायत 5 ने एक वाद वास्ते बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.07.2012 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार वैष्णव ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा वास्ते जवाब समय चाहा। दिनांक 04.10.2013 को जवाब प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण का जवाब बंद कर दिया तथा प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

को वास्ते कायमी तनकीयात नियत कर दिया। इसके पश्चात दिनांक 28.10.2016 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 42/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 05 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी को इस आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 12.06.2020 को हुई जिसके पश्चात उसने न्यायालय से वाद की नकले इत्यादि प्राप्त कर फीस खर्चे का इन्तजाम कर जानकारी से अंदर मियाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थी एक बुजुर्ग बीमार व्यक्ति है। इस कारण से भी प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का भी यह एक सदभाविक कारण है। प्रकरण क्योंकि सिविल प्रकृति का है इसलिए प्रार्थी के अभिभाषक ने उसकी उम्र व तबीयत को देखते हुए प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में आने से मना कर रखा था एवं कहा था कि जब भी आवश्यकता होगी आपको पत्र द्वारा सूचित कर बुलवा लेंगे एवं उसके अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिए जाने के कारण एवं प्रकरण की पैरवी सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण निर्णय बिना जवाब प्रस्तुत किए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को मौके पर पटवारी हल्का के आने के कारण से हुई। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। उक्त अपील के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को वास्ते तनकीयात नियत किए जाने के पश्चात तनकी कायम करनी चाहिए थी, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में कहीं पर भी आदेशिका से यह जाहिर नहीं होता है कि प्रकराण में तनकी बनाई गई हो। प्रकरण में कहीं पर भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाए जाने का अंकन नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई एवंज ब अधिवक्ता के उपस्थित नहीं रहने के कारण प्रकरण को एक पक्षीय रूप से सुनवाई किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तो फिर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पहले एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लानी चाहिए थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Scanned with CamScanner

बंटवारे के वाद में समस्त सह खातेदार आवश्यक पक्षकार होते है जिनको प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किए बगैर वाद ही संधारण योग्य नहीं है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में वादी के द्वारा सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत के अनुसार रेकार्ड पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का विवेचन करने के पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बगैर किसी भी प्रकार का निर्णय/आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिए बगैर निर्णय पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगतना चाहिए परंतु प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता की गलती के कारण समय पर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हो सका तथा प्रकरण एक पक्षीय रूप से सुना जाकर डिक्री कर दिया गया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 42/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2016 पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06 उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। उन्हें न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में किए गए निर्णय से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद दिनांक 18.5.2012 को अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक में नियत की गई। पत्रावली में आगामी दिनांक 18.7.2012 को वादी अभिभाषक उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से उनके अभिभाषक ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा। पत्रावली में आगामी दिनांक 19.9.2012 को उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादीगण जवाब दावा हेतु समय चाहते है। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 31.10.2012 को नियत की गई उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित, सरकार पैरोकार उपस्थित व प्रतिवादीगण जवाब दावा हेतु समय चाहा। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 19.12.2022 को नियत की गई उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित। सरकार पैरोकार उपस्थित व प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा हेतु समय चाहा गया। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 10.5.2013 को नियत की गई उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित, सरकार पैरोकार उपस्थित प्रतिवादीगण जवाब हेतु समय चाहते है, न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर दिया गया। तत्पश्चात पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 11.9.2013 को पेश की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित। प्रतिवादीगण को न्यायहित में जवाब दावे हेतु एक अंतिम अवसर दिया गया। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 18.9.2013 को उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित व प्रतिवादीगण पुनः जवाब हेतु समय चाहते है। न्यायालय द्वारा न्यायहित में एक ओर अवसर दिया गया। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 20.9.2013 नियत की गई जिसमें वादीगण अभिभाषक उपस्थित पैरोकार सरकार जवाब हेतु समय चाहा। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया व आगामी पेशी पर प्रतिवादीगण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Scanned with CamScanner

जवाब नहीं आने पर जवाब स्वतः ही बंद समझा जावे। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 4.10.2013 को वादीगण अभिभाषक उपस्थित जवाब नहीं देने पर प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाता है। मिसल वास्ते कायामी तनकीयात दिनांक 11.10.2013 को पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 28.10.2016 को नियत की गई। उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित, सरकार पैरोकार उपस्थित प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री का पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार पीसांगन को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.1. 2017 को पेश हो।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को दिनांक 18.7.2012 से दिनांक 4.10.2013 तक लगातार कई बार जवाब हेतु समय देने के बावजूद उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का जवाब दिनांक 4.10.2013 को बंद किया गया। अपीलांट द्वारा अपने उक्त वाद में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण में तनकियात नियत किए जाने के पश्चात तनकी कायम कर उक्त प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनेक अवसर दिए जाने के पश्चात एवं कई बार अंतिम अवसर दिए जाने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर जवाब बंद किया गया बिना जवाब प्रस्तुत किए तनकीवार निर्णय नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा अपने वाद में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उक्त प्रकरण को एक पक्षीय रूप से सुनवाई किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि प्रकरण में किसी भी प्रकार की एकपक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अपितु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में समस्त विधिक प्रावधानों अनुसार ही निर्णय किया गया है। बंटवारे में प्राथमिक डिक्री पारित करते समय उभयपक्ष को सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर दिया जाना तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में वर्णित राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किए जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा भी प्राथमिक डिक्री जारी कर ***"ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसांगन अविस्थत खाता संख्या 749 आधारभूत खसरा संख्या 1208, 1226 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य मौके पर जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विधिक बंटवारा कर कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय लैण्ड रिकार्ड रुल्स राजस्व मंण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करे।"***

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित करते समय किस प्रकार की विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अपनी अपील के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। प्राथमिक डिक्री पारित करते समय किसी भी पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई हक हिस्सा कम अथवा ज्यादा नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में प्राथमिक डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक, विधिक, न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुकुल है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भजनेर

Scanned with CamScanner

9. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 42/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

4/12/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner